

राजस्थान सरकार
सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग

प्रधानमंत्री के द्वारा गठनक नियमन की बाबत विषय

क्रमांक : एफ ७ (२)(७०)राष्ट्र/साम्ब्याअधि/२।। / २.५६ जयपुर, दिनांक १५/५/२०२१

आदेश

गान्धीय मुख्यमंत्री गहोदय द्वारा नजट 2020-21 सामान्य धाद-विवाद के बिन्दु संरक्षा १४ में “राजकीय छात्रावासों एवं आवारीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु छात्र-छात्राओं की पात्रता की रीमा बढ़ाकर परिवार की वार्षिक आय ८.०० लाख रुपये तक की जायेगी, तथा जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी, जो लेवल-१। तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वे भी यह सुविधा उपलब्ध होगी” की पोषणा की गई है।

इजट पोषणा की पालना में राजकीय छात्रावासों हेतु राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम ६ के बिन्दु संख्या (IV) में संशोधन कर एवं आवारीय विद्यालयों हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ १(ए)(१४०)/स्था/राइस/साम्ब्य/२०१९/४३०६ दिनांक १०.०७.२०१९ में संशोधन कर छात्र-छात्राओं के परिवार की वार्षिक आय ८.०० लाख रुपये के अतिरिक्त जिन छात्र-छात्राओं के माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं एवं लेवल-१। तक (अधिकतम ८.०० लाख रुपये वार्षिक) वेतन प्राप्त कर रहे हैं, विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

सेष शर्तें यथावत रहेंगी। उक्त आदेश सक्षम रत्तर से अनुमोदित है।

३
०५/०५/२०२१

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ ७ (२)(७०)राष्ट्र/साम्ब्याअधि/२।। / ६२५७-५९ जयपुर, दिनांक १५/५/२०२१

प्रतिलिपि :-

१. संयुक्त सचिव (एसएके), मानवीय मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर।
२. प्रिंसिपल राहायक, मानवीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
३. जिझी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
४. जिझी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
५. डिला कलप्टर (समस्त)
६. जिझी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)/अतिरिक्त निदेशक (राईस) मुख्यावास।
७. अधिकारी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
८. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), गुरुद्वारा को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को विभागीय नेटवर्क एवं अपलोड करवाने एवं प्रवेश पोर्टल पर उक्तानुसार प्रावधान करवाने हेतु।
९. अप निदेशक (प्रधार), मुख्यावास को इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु।
१०. सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
११. अप निदेशक/राहायक निदेशक, सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग
१२. प्रावारी राजकीय आवारीय विद्यालय (राईस)
१३. आदेश प्रावाली।

०१/०५/२०२१

(अनुपम कायल)

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)